

क्रमांक : एफ 3(5)2022-23/अ.अ./प्रमुवसं/ 1040

दिनांक : 26/4/23

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम 1971 में उपलब्ध शर्तों सहित कार्मिक (क-3/जांच) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9 (5)/30/कार्मिक क-3/जांच/2004, जयपुर दिनांक 18.11.2006 के अनुसंरण में निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष 2022-23 परीक्षाओं में अध्ययन (स्वयंपाठी छात्र के रूप में) अध्ययन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अध्ययधीन प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद (श्री/श्रीमती/सुश्री)	कार्यालय का नाम	विश्व विद्यालय/ बोर्ड का नाम	परीक्षा का नाम
1	भरत राम गुर्जर, कनिष्ठ सहायक	उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का	राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्व विद्यालय अलवर	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष
2	अंकुश डांगी, वनरक्षक	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़	गोविन्द गुरु जन जातिय विश्व विद्यालय बांसवाड़ा सम्बद्ध महाविद्यालय प्रतापगढ़	स्नातकोत्तर
3	करण सिंह यादव, वरिष्ठ सहायक	उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर	राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्व विद्यालय अलवर	बी.ए.पार्ट-II

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राज सेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

Signature valid

Z:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystem\DMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\1682057320396

Digitally signed by Deep Narayan
PandeyDesignation : Principal Chief
Conservator Of Forest

Date: 2023.04.21 11:39:08 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3666919

6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार के जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणों से लोकहित/राज्य हित में यह स्वीकृति/अनुमति बिना किसी सूचना के निरस्त की जा सकती है।
11. राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
12. अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नहीं होगा।
13. इन्हें केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जायेगा।
14. राज्य सेवा में कोई व्यवधान ना हो।

(डॉ. दीपनारायण पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ 3(5)2022-23/अ.अ./प्रमुखस/1041-45

दिनांक 26/4/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का/प्रतापगढ़।
2. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर।
3. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा के विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित किए जाने बाबत।
4. रक्षितपत्रावली।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Z:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\1682057320396

Digitally signed by Deep Narayan
Pandey
Designation : Principal Chief
Conservator Of Forest
Date: 2023.04.21 11:39:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3666919